चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : पी0ए0/2868
दिनांक : 27.07.2020

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या/प्रबन्धक,
समस्त सम्बद्ध स्ववित्त पोषित महाविद्यालय/संस्थान
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

विषयः— चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,मेरठ से सम्बद्धता प्राप्त स्ववित्त पोषित महाविद्यालय/संस्थानों में कार्यरत शिक्षको/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–पी0ए0/2660 दिनांक 16.04.2020 एवं पत्र संख्या–पी0ए0/2674 दिनांक 02.05.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों/संस्थानों में कार्यरत शिक्षको एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन भुगतान किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अवगत कराना है कि श्री राज बहादुर सिंह चेदल, सभापति शिक्षा का व्यवसायीकरण नेता निर्दलीय समूह के द्वारा मा0 कुलपति महोदय को दिनांक 29.06.2020 पत्र प्रेषित किया गया है, जिसमें उनके द्वारा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों/संस्थानों व संचालित पाठ्यक्रमों में कार्यरत शिक्षकों तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियो का लॉकडउन की अवधि के बकाया भुगतान किये जाने हेतु तथा सम्बन्धित महाविद्यालयों/ संस्थानों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का प्रबन्धतंत्र द्वारा अद्यावधि तक किये गये वेतन भुगतान सम्बन्धी बैंक स्टेटमेंट की छायाप्रति भी प्रमाणित कर उपलब्ध कराये जाने तथा उपरोक्त प्रकरण को शिक्षा का व्यवसायीकरण सम्बन्धी जॉच समिति विधान परिषद के समक्ष रखे जाने की अपेक्षा की गयी है।

अतः उक्त के क्रम में सभापति शिक्षा का व्यवसायीकरण नेता निर्दलीय समूह के पत्र के आलोक एवं मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने महाविद्यालय/संस्थान में कार्यरत समस्त शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का लॉक डाउन की अवधि के प्रमाणित वेतन भुगतान सम्बन्धी बैंक स्टेटमेंट चार कार्य दिवसों में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिससे कि उपरोक्त सूचना सभापति, शिक्षा का व्यवसायीकरण, नेता निर्दलीय समूह विधान परिषद, लखनऊ को उपलब्ध करायी जा सके।

यदि उक्त के सम्बन्ध में किसी भी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा उक्त सूचना सरामय उपलब्ध नही करायी जाती है तथा शासन द्वारा कोई भी विपरीत आदेश निर्गत किये जाते है तो, उसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान का होगा।

भवदीय,
27.07.2020
कुलसचिव

प्रतिलिपि :—

01.सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
02.श्री राज बहादुर सिंह चेदल, सभापति शिक्षा का व्यवसायीकरण नेता निर्दलीय समूह, को उनके पत्र दिनांक 29.06.2020 के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
03.वैयक्तिक सहायक प्रति–कुलपति को प्रति–कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
04.क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ को सूचनार्थ।
05.प्रेस प्रवक्ता, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
06. प्रभारी वेबसाइट, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

कुलसचिव

REDMI NOTE 5 PRO
MI DUAL CAMERA